



SL. No. 2497
DATE 19/04/2014

Authorised u/s 297 (c) of the Code
of Criminal Procedure 1973
(Act no 2 of 1974)

“प्ररूप 26”
(नियम 4क देखिए)



22, उजियारपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क
मैं किशोर कुमार **पुत्र/पुत्री/प्रती स्व. अवध विहारी राय आयु 36 वर्ष,
जो ग्राम-लोदीपुर चकवारा पो-राजीपुर थाना-नगर राजीपुर जिला-बैरगंज का पूरा पता लिखें) का/की निवासी
हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(1) मैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/

**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 123, राजीपुर, बिहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम)

में भाग सं. 124 के क्रम सं. 457 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9097716671 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो)

..... है।

(4) स्थाई लेख संख्यांक (पैन) के ब्योरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपये में)
1. स्वयं	CYQPK7099P	शुन्य	शुन्य
2. पति या पत्नी	शुन्य	शुन्य	शुन्य
3. आश्रित-1	शुन्य	शुन्य	शुन्य
4. आश्रित-2	शुन्य	शुन्य	शुन्य
5. आश्रित-3	शुन्य	शुन्य	शुन्य

- (5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किये गये हैं।
यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-
- (i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शून्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शून्य

- (ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिखा गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिखा गया है	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) के ब्यौरे	शून्य

- (8) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951) 1951 का 43 की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :-
यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:
निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शून्य

(7) मैं मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम (Movable) और स्थावर (Immovable) आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

जंगम (Movable) आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं. रकम जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और खाता सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों / शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक पतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्तया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	30,000	10,000	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खाता में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	697*00 रु० जमा इलाहाबाद बैंक, आर.एन.कॉलेज, राजीपुर 319*73 रु० जमा ओरियन्टल बैंक ऑफ कांफर्स, राजीपुर 40,000 रु० पंजाब नेशनल बैंक, राजीपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/ शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	पारस्परिक बचत योजना, डी.के. बचत बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डी.के.धर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/ अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(vi)	मोटरयान/ वायुयान/ वाट/ पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएँ) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	सौना-40 ग्राम कीमत-1,20,000 रु चाँदी-100 ग्राम कीमत-6,000 रु	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियाँ जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	71,016.73 रु	1,26,000 रु	शून्य	शून्य	शून्य

ख. स्थावर (Immovable) अस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक्तया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ))	संयुक्त पैतृक भूमि ग्राम-ग्राहपुर, ग्राम-तेरसीया, ग्राम-मालीपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	20 एकड़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की/दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियाँ सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ))	संयुक्त पैतृक 10 कट्ठा मौजा-लोदीपुर, 8 कट्ठा मौजा-जदुआ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	18 कट्ठा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	150,000000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	ग्राम-लोदीपुर खता-692 खेसरा-676 थाना नं०-183	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	13 डी०	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	4½ डी०	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	10,000000 रु०	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	160,000000 रु०	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

8. मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों (dues) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य (lone or dues) बैंक या वित्तीय संस्था का नाम बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	50,000 रु० बैंक ऑफ़ इंडिया, राजीपुर शाखा से के० सी० सी० ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त धारित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	50,000 रु०	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतवलि (In- volved) रकम और इस यात्रिका जिसके समक्ष यह संबंधित है का वर्णन करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

9. वृत्ति या उर्जीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं कृषि कार्य
(ख) प्रति या पत्नी गृहिणी

10. मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

इन्टर, राजनारायण कॉलेज हाजीपुर से प्रथम श्रेणी उत्तिर्ण, विश्व इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद, पटना

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

11. भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु० किशोर कुमार
2.	डाक का पूरा पता	ग्राम- लोदीपुर चकवारा, पो०- हाजीपुर थाना- नगर हाजीपुर जिला- वैशाली
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	22, उमिहारपुर
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	राष्ट्रीय लोक समता पार्टी

5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	शून्य				
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शून्य				
7.	 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय			
	(क) अभ्यर्थी	CYQPK 7099P	शून्य	शून्य		
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य		
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य		
8.	संपत्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूप में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम (Movable) आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख.	स्थायी (Immovable) आस्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(I)	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(II)	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(III)	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	(क) स्वअर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)					
9.	दायित्व					
(i)	सरकारी शोध्य (dues) कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	50,000 रु०	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
(i)	सरकारी शोध्य (dues) कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें) इंटर, राज नारायण कालेज, हजीपुर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण बिहार इंटर मीडिएट शिक्षा परिषद्, पटना, सन 1995					

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 19/4/14 को सत्यापित किया गया।

Solemnly affirmed and
Declared before me

by Kishore Kumar

P.N. SHARMA
NOTARY
SAMASTIPUR



✓ किशोर कुमार

अभिसाक्षी

Identity & Signature of the
Signatory who have signed before me
✓ Kishore Kumar
EN. No. 1523/92 19/4/14

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3 सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो "शून्य" या "लागू नहीं" या "ज्ञात नहीं" जो उपयुक्त हो ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण 6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी ।

मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं

मेरा ई-मेल आईडी0 (अगर कोई हो) है

एवं मेरा सोशल एकाउंटस (अगर कोई हो) है